

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बेलरायों-पनवारी मार्ग (एस०एच०-21) किमी० नं०-24 (चैनेज संख्या-23.410 से 23.445) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्यास-407 ग्राम बरोठा तहसील व थाना निघासन जिला खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.086211 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अप्रोच/52653/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-258/81-2-2021-800(262)/2021 दिनांक 16 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 15-12-2021 18:24:52

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।